# बिहार विधान सभा

## द्वितीय सत्र

## अल्पसूचित प्रश्न

---

**[ग्रामीण कार्य विभाग - ग्रामीण विकास विभाग - पंचायती राज विभाग - जल संसाधन विभाग - लघु जल संसाधन विभाग - पथ निर्माण विभाग - भवन निर्माण विभाग - श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ].**

**कुल अल्पसूचित प्रश्न 3**

---

### मानदेय का भुगतान

*48 **श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (75) (सहरसा):**

**श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग** क्या मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य भर में आउट सोर्सिंग से नियुक्त किये गये कर्मचारी जिन्हें अस्पताल, नगर निगम आदि विभिन्न जगहों पर प्रतिनियुक्त किया जाता है तथा महीने में तीसो दिन काम लिया जाता है, परंतु उन्हें मात्र 26 दिन का ही मानदेय भुगतान किया जाता है, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, यदि हां, तो सरकार राज्य भर में आउट सोर्सिंग से नियुक्त रहते है, यदि हां तो सरकार राज्य भर में आउट सोर्सिंग से नियुक्त किये गये कर्मचारी को पूरे 30 दिन का मानदेय भुगतान कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

---

### रोप-वे का पुनर्निर्माण

*49 **श्री मुरारी प्रसाद गौतम (207) (चेनारी (अ० जा०)):**

**पथ निर्माण विभाग :-**

स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में दिनांक-27/12/2025 को प्रकाशित "रोहतास रोप वे ध्वस्त....पिलर एक सिध में नहीं थे" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के चेनारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रोहतास से चौरासन मंदिर (रोहितेश्वर

धाम ) पर जाने के लिए बना रोपवे ट्रायल के दौरान ही ध्वस्त हो गया ;

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस गंभीर घटना का उच्च स्तरीय जांच कराते हुए, दोषी संवेदक एवं अभियंताओं पर कार्रवाई करते हुए रोपवे का पुनर्निर्माण कब तक कराने का विचार रखती हैं, नहीं तो क्यों ?

---

## उचित मजदूरी दिलाना

*50 **श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (75) (सहरसा):**

**श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग :-**

क्या मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में बीड़ी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी, 412 रूपया सरकार द्वारा अधिसूचित है, परंतु कोई भी बीड़ी कंपनी बीड़ी श्रमिकों को मात्र 100 रूपया प्रति हजार बीड़ी बनाने का श्रमिक देते हैं, जिससे कि 8-10 घंटा मजदूरी करने के बावजूद 150 से 200 रूपया ही उन्हें परिश्रमिक मिल पाता है;

2. क्या यह बात सही है कि जमुई में लगभग 10 लाख, बिहार शरीफ में लगभग 2.5 लाख, सहरसा में लगभग 2 लाख, खगड़िया में लगभग 1.5 लाख सहित राज्य भर के लाखों बीड़ी श्रमिक लाचारी में जीवन-यापन करने को मजबूर है;

3 यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त बीड़ी श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाने तथा उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

---